

Government of Rajasthan
Office of The Commissioner Industrie,
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005

क्रमांक एफ 9/3(1)/आ.उ./मार्के/2014/पार्ट.IV

दिनांक 14.09.2020

कार्यालय-आदेश

राजसिको द्वारा राज्य सरकार के समस्त विभागों उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में बिना निविदा के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-2 के नियम 30 के एनेक्सचर-‘ए’ एवं RTPP Act & Rule 2013 के Rule 32 के एस.ओ. 135 के 4 (घ) व्यवस्थानुसार उद्योग (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.11.2003 एवं 04.04.2013 द्वारा गठित समिति की सिफारिश एवं राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त निम्न आईटमों की दरें निर्धारित की जाती हैं।

क्र.स.	आईटम	कन्वर्जनचार्ज की अनुमोदितदर
1.	पॉलिथीन बैग्स:- निविदा की शर्तों के अनुसार कच्चे माल की दर एल.डी.पी.ई. ग्रेन्यूल्स रिलायन्स इण्डिया लि. अहमदाबाद की दरों के आधार पर परिवर्तनीय है, अतः केवल कन्वर्जन चार्ज ही निर्धारित किया जाता है।	रुपये 14,780/-प्रति में टन एवं जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक से देय होगा।
2.	कांटेदार तार:- निविदा की शर्तों के अनुसार कच्चेमाल एम.एस. वायर रोड 8एम.एम ग्रेड आई.एस. 7887 की दर राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. जयपुर की दरों के आधार पर परिवर्तनीय है, अतः केवल कन्वर्जन चार्ज ही निर्धारित किया जाता है।	(अ)अनगैल्वेनाइज्ड कांटेदार तार:- रुपये 17,500/-प्रति मै. टन एवं जी.एस. टी. नियमानुसार पृथक से देय होगा। (ब)गैल्वेनाइज्ड कांटेदार तार:- रुपये 26,987/-प्रति मै. टन एवं जी.एस. टी. नियमानुसार पृथक से देय होगा।

उक्त दरें तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती हैं एवं एक वर्ष अर्थात् दिनांक 31.07.2021 तक या दर निर्धारण समिति द्वारा दरों का पुनः निर्धारण करने तक जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावी होगी। अन्य शर्तें निविदा की शर्तों एवं सामान्य वित्तीय लेखानियम एवं RTPP Act & Rule 2013 के प्रावधान अनुसार लागू रहेगी।

अविन्द्र लड़ड़ा
11/9/2020

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग

क्रमांक एफ 9/3(1)/आ.उ./मार्के/2014/पार्ट.IV

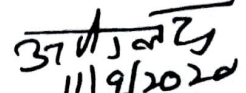
दिनांक : 14.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजसिको, जयपुर।

Government of Rajasthan
Office of The Commissioner Industrie,
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005

2. संयुक्त शासन सचिव, उद्योग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर।
4. निदेशक एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान, 22 गोदाम, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, उद्योग।
6. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग।
7. निजी सहायक, आयुक्त उद्योग।


11/9/2020
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग